Regarding inclusion of eligible farmers in PM-Kisan Samman Nidhi- Laid.

श्री गजेन्द्र सिंह पटेल **(खरगौन) :** मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान भारत सरकार द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ओर दिलाना चाहता हूँ । यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू की गई थी । इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों की पहचान के लिए अंतिम तिथि 1 फरवरी 2019 निर्धारित की गई थी । यह भी प्रावधान है कि यदि किसी पात्र किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उनके उत्तराधिकारी भी योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे । 1 फरवरी 2019 की अंतिम तिथि के बाद, कई कृषि भूमियों का विभाजन और खरीद-बिक्री हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कई नए किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पात्र किसान परिवारों की पहचान के लिए अंतिम तिथि में किसी भी बदलाव के लिए कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है । अतः, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पात्र किसान परिवारों को लाभान्वित करने के लिए अंतिम तिथि में परिवर्तन पर विचार किया जाए ।